न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 114/2023

अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. ब्जरंगलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. रामसिंह पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 28/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 209/193 के प० नं0 252/403 (80) के किला नं. 13/1 की 0.1270 है0, 14/1 की 0.1260 है0, 15/1 की 0.1270 है0, 16 व 17 की 0.5060 है० कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8860 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि सायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 65/62 के प० नं0 252/403 (80) के किला नं. 23, 24, 25 की 0.759 है० भूमि व प० नं0 252/404 (101) के किला नं. 3 ता 7 प्रत्येक की 0.2530 है०, 8/2 की 0.2400 है०, 9/2 की 0.2020 है0, 10/3 की 0.1390 80, 11/2 की 0.2280 है0, 12/2 की 0.1640 है०, 13/2 की 0.1390 है०, 14/2 की 0.0570 है0, 14/3 की 0.0700 है0 15/2 की. 0. 1390 है0, 16/2 की 0.2410 है0, 17 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है० प० नं0 252/405 (104) 1 ता 5 की 1.2650 है० प० नं0 253/403 (79) किला नं. 21/2 0.2270 है0, 22, 23 की 0. 5060 है० व प० नं0 253/404 (102) किला नं. 1/2 की 0.2280 है0. 2 की 0. 2530 है0, 3 की 0.0250 है०, 8 की 0.0130 है0, 9 को 0.2400 है0, 10/2 की 0.2270 है0, 11/3 की ०.14780 है0, 12/2 की 0.1640 है0 19/2 की 0.0380 है0, 20/2 की 0.1900 है0, 21 की 0. 2530 है0, 22 की 0.0130 है० व प० नं0 253/405 (103) किला नं. 1 की 0.1280 है0, 10 की 0.0130 है० कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.7400 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायलान की खातेदारी कृषि भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 2 जो सायलान के पड़ोसी काश्तकार है आये दिन [illegible] को तंग परेशान करते रहते है उपरोक्त दोनो खातो की भूमि जबरिया सींव [illegible] देने की कोशिश करते हैं। प० नं0 252/403 (80) के किला नं. 15, 16, 25 में खाले [illegible] प० नं0 253/403 (79) के किला नं. 21 व ५० नं0 253/404 (102) के किला नं. 1, 10, [illegible] में गै० मु० रास्ता ब[illegible]ा है तथा खाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि को खुर्द–बुर्द करके हमारे खेत में दखल देना चाहते हैं। गैर सायलान जो कि काफी तेज तर्रार व्यक्ति है तथा सायलान की खातेदारी कृषि भूमि में दखल देते है व जबरन सींव डोल दौड़कर वादीगण को तंग परेशान करते रहते तथा प० नं0 252/403 (80) के किला नं. 15, 16, 25 मे खाला व प० नं0 253/403 (79) के किला नं. 21 व प० नं0 253/404 (102) के किला नं. 1. 10, 11 में गै० मु० रास्ता बना हुआ है तथा खाले की भूमि को खुर्द–बुर्द करके हमारे खेत में दखल देना चाहते यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जायेगे तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायलान अपनी खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 209/193 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8860 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 65/62 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.7400 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी कि जावे की गैरसायलान सायलान की कृषि भूमि की सींव डोल को ना तोड़े, प० ० 252/403 (80) के किला नं. 15, 16, 25 में खाला व २० नं० 253/403 (79) के किला नं. 21 व प० नं0 253/404 (102) के किला नं. 1, 10, 11 की भूमि को खुर्द–बुर्द ना करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 209/193 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8860 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/62 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.7400 हैक्टेयर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि वाद भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व प्रार्थीगण के रिकॉर्ड में धारित रकबे में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें व प.नं. 252/403 (80) के किला नं. 15, 16,25 में खाले व प.नं. 253/403(79) के किला नं. 21 व प.नं. 253/404(102) के किला नं. 1,10,11 गै०मु० रास्ते को खुर्द–बुर्द न करें । खाले व रास्ते दोनों को खुर्द–बुर्द न करें ।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रास्ता व खाला की भूमि सायल स्वयं द्वारा खुर्द बुर्द किया जा रहा है कि गैरसायलान द्वारा किया जा रहा है। सायल द्वारा न्यायालय हाजा में एक वाद बृजलाल बनाम सरकार पेश किया गया था जिसमें किला न0 1, 10 व 11 की गैमु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन करवाने का अनुतोष चाहा गया था उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं सायलान द्वारा उक्त रास्ता को रोकने की भी कोशिश की गई तब तहसीलदार एवं पुलिस द्वारा दिनांक 09.05.2019 को उक्त रास्ता खुलवाया गया था प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि सायलान की खातेदारी कृषि भूमि में दखल देते है व जबरन सींव डोल दौड़कर वादीगण को तंग परेशान करते रहते तथा प० नं0 252/403 (80) के किला नं. 15, 16, 25 मे खाला व प० नं0 253/403 (79) के किला नं. 21 व प० नं0 253/404 (102) के किला नं. 1. 10, 11 में गै० मु० रास्ता बना हुआ है तथा खाले की भूमि को खुर्द–बुर्द करके हमारे खेत में दखल देना चाहते यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जायेगे तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायलान अपनी खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

टोपरिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 209/193 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8860 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 65/62 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.7400 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी कि जावे की गैरसायलान सायलान की कृषि भूमि की सींव डोल को ना तोड़े, प० ० 252/403 (80) के किला नं. 15, 16, 25 में खाला व २० नं० 253/403 (79) के किला नं. 21 व प० नं0 253/404 (102) के किला नं. 1, 10, 11 की भूमि को खुर्द–बुर्द ना करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा रास्ता व खाला को खुर्द बुर्द किया गया हो एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को अनवानी बृजलाल बनाम सरकार प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया किया गया हैं, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.05.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक........28/11/25.........मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:25 IST
Reason: SelfAttested